मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2164
09.12.2024 को उत्तर के लिए

मगरमच्छों का संरक्षण

2164. श्री लुम्बा रामः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में मगरमच्छों की संख्या घट रही है और यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मगरमच्छों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में मगरमच्छ संरक्षण केन्द्रों की संख्या का राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सिरोही जिले के मुनिया बांध को मगरमच्छ केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) मगरमच्छों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या का आकलन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया गया है। तथापि, कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने क्षेत्राधिकार में मगरमच्छों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या का आकलन करते हैं।

(ख) सरकार ने मगरमच्छों सहित वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. दलदली मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पलुस्ट्रिस), खारे पानी के मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पोरोसस) और घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है, ताकि उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जा सके।

ii. वन्यजीव और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व) का निर्माण किया गया है।

iii. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत वन्यजीवों के संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारि-संवेदी क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं।

iv. 'बाघ और हाथी परियोजना' और 'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' की केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

v. वन्यजीवों और वन्यजीव अंगों से निर्मित वस्तुओं के अवैध व्यापार के बारे में आसूचना एकत्रित करने और वन्यजीव कानूनों के प्रवर्तन में अंतरराज्यीय और सीमापारीय गतिविधियों में समन्वय प्राप्त करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

(ग) देश में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) द्वारा चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 में निर्दिष्ट मानकों और मानदंडों के अनुसार चिड़ियाघरों को मान्यता दी जाती है। सीजेडए द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी चिड़ियाघर ऐसा नहीं है, जिसमें अनन्य रूप से मगरमच्छों को ही रखा जाता हो।

(घ) राजस्थान के सिरोही जिले में अनन्य रूप से मगरमच्छों को रखने के लिए किसी भी चिड़ियाघर को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव सीजेडए के पास विचाराधीन नहीं है।

*****